

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	न अ हु व ।
<p>02/04/2023</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। ग्राम 0 प्राचीण उपरिक्त। प्रणी प्रणी क्रम 1 & 2 अनुपरिक्त। ग्राम 0 प्राचीण की वल प्रप पत्र प/स 212 RT के परिपेक्ष में पत्रावली का अचलत्व किपा गया। धारा 212 RT के प्रप पत्र को adjudicate करने के लिए उक्त निम्न 03 बिन्दुओं पर प्रारंभ आवश्यक है :-</p> <p>(5) प्रकरण प्रथम द्वारा :- ग्राम 0 प्राचीण द्वारा डोरने वल कथन किपा गया कि ग्राम कल्याणपुरा की माराली खण्ड 450, 451 जिता 2. प्रणी क्रम 1, खण्ड 452 प्रणी क्रम 6 एवं खण्ड नं 645/450 प्रणी क्रम 1 से 6 की खानेदारी से हल रिकार्ड है, वाडग्रह माराली विरासत में प्राचीण को अपने पिता मावलिह से प्राप्त हुई थी। वाडग्रह माराली पर हम से पहले कल मावलिह का और फिर प्राचीण का कब्जा करत चला आ रहा है लेकिन प्राचीण बिना किसी हक व अधिकार के उक्त भूमि से हल भवन पक्की डामर लडक बनाने पर आबडा है और प्राचीण को उनकी भूमि से वंचित करना चाहते हैं।</p> <p>ग्राम 0 प्राचीण की वल के परिपेक्ष में प्रणी क्रम 1 से 2 के पत्रावली प्रप पत्र का अचलत्व किपा गया। जिसके अनुसार वर्ष 2014-15 से ग्राम मोसाव से पीडावा होने लगे कल्याणपुरा से M.P. सीमा तक MDR Road स्वीकृत होर रास्ते के नवीनीकरण चौडाई करण व सौन्दर्यकरण का कार्य चला रहा है। पत्रावली के विशेष कथन के बिन्दु 2 के संकेत है कि इस लडक निमण से प्राचीण की वाडग्रह माराली के किसी हिस्से को कोई नुकसान ही रहा है। बिन्दु 1 के अनुसार सौन्दर्यकरण प्राचीण की भूमि पर नहीं किपा जा रहा है इससे आमजन को सुविधा होगी। राहत पहुंचेगी।</p>	



पटवारी एल्का सोरपुर द्वारा पेशा गाँव का रिपोर्ट
दिनांक 01/11/2022 के अनुसार आसाव - पिडावा -
रामपुरिया सड़क प्राचीणता के स्वसरा नम्बर 450,
451, 452 व 645/450 ~~खण्ड~~ से होकर करीब 15 वर्षों
से गाँव पर चली हुई है। PWD विभाग के त
सड़क का चौड़ाईकरण व लाइनिंगकरण करना चाहते
हैं जबकि प्राचीणता ग्रामी का मुआवजा चाहते हैं।
प्राचीणता द्वारा ग्यापिक मॉपिस्ट्रेट एवं सिविल में पेशा
नमती नक्शा दिनांक 18/8/2022 के अवलोकन
से स्पष्ट है कि PWD विभाग की MDR सड़क
प्राचीणता के खण्ड 450, 451, 453, 645/450
से होकर गुजरती हुई फिर्खाई है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्राचीणता
की वाइग्रन्त आराजी खण्ड 450, 451, 453, 645/
450 ~~खण्ड~~ से होकर 10 वर्षों से आदीक समय से
पिडावा -
कल्याणपुरा - रामपुरिया सड़क चली हुई है और आसपास
द्वारा उपयोग - उपभोग भी जा रही है। गाँव
पर आज भी पक्की सड़क गुजर रही है।
यह भी स्पष्ट है कि प्राचीणता रिचार्ज्ड खालेडर
हूला है। अप्रार्थी कम 1 व 2 बिना भूमि अधिग्रहण
क्रिये (without land acquisition) ही प्राचीणता
भूमि से "बिना भूमि अधिग्रहण" के गुजर रही
(पूर्व से ही) पक्की सड़क को और आदीक चौड़ा
कर रहे हैं। बिना भूमि अधिग्रहण व मुआवजे
के किसी कार्रकार की भूमि से सड़क निकालने
का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। अप्रार्थी 1 व 2
ने भी ऐसा कोई सक्षम आदेश/परिपत्र/नोटी-
फिकेशन पेशा नहीं किया गया है। अप्रार्थी
को भूमि अधिग्रहण (पुनर्वासन और पुनर्बलस्थापन में



उचित मुआवजा व पारदर्शिता) बाकी नियम - 2013 के
अधीन निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर ही सड़क
को चौड़ा किया जाना चाहिए। प्राचीन की
सड़क के विस्तार या बिना सहमति के पक्का
सड़क को चौड़ा कर प्राचीन की भूमि को
बुर्द-बुर्द करने का कोई अधिकार अप्राचीन
को नहीं है। अतः प्रस्ताव प्रथम द्वारा
प्राचीन के पक्ष में लाति नहीं है।

(ब) सुविधा का अनुपमः - अप्रार्थी क्रम 1 व 2

द्वारा The Right to fair compensation and transparency
in Land acquisition, Rehabilitation and Resettlement
Act, 2013 के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की
जाने कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। अप्रार्थी
182 प्राचीन की भूमि से निकलने काम सड़क
को करीब 15 फीट और चौड़ा करना चाहते हैं
अधीन प्राचीन की ^{भूमि} से करीब 10-15 फीट
भूमि लेकर उसे ग्रेवल कर डामर सड़क बनाना
चाहते हैं। भूमि के बदले प्राचीन के मुकाम
की क्षतिपूर्ति करने का कोई प्लान/प्रावधान
अप्राचीन के पास नहीं है। अप्रार्थी 182 द्वारा
उक्त MDR Road की DPR (Detailed project
Report) तैयार कते समय जा ही प्राचीन से
written consent ली गई और जा ही मुआवजे
का प्रावधान लिया गया था। It is well
settled legal position है कि बिना विधिक
प्रक्रिया के अप्राचीन, प्राचीन की भूमि से
जा ही सड़क निकालने के अधिकारी है और
जा ही बुर्द-बुर्द करने के अधिकारी है। अतः



प्राचीन के पक्ष में रहना चाहेगा जो की
एक सुविधा का लक्षण प्राचीन के पक्ष
में होगा।

(ख) अपूरणीय धारें :- निम्न विहित प्राकिया के

The Right to fair compensation and transparency in
land acquisition, Rehabilitation and Re-settlement
Act, 2013 एवं The Rajasthan tenancy Act
1955 के अन्तर्गत जमीन का अधिग्रहण की प्रकिया
अबतन रहना (existing way) चोडा करना या
नया रास्ता बनाने का कोई प्रावधान
नहीं है। यदि अपूरणीय क्रम 1 व 2 प्राचीन
की सहमति के बिना अबतन existing way
चोडा करे है तो प्राचीन को भूमि का
अपूरणीय मुकलान कारित होगा।

उपरोक्त विवेचन व विरलक्षण के अन्तर्गत
एक प्राचीन का प्राण पत्र प/स 212 RT Act
आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।
अपूरणीय क्रम 1 व 2 को तात्कालिक रूप से
माशय कि फाईल निषेधाज्ञा से पाबंद किया
जाता है कि वे प्राचीन की वडवाला भूमि
से पूर्व से ही निकल रहे व उपयोग - उपयोग
किये जा रास्ते / सडक का बिना विहित प्राकिया
के चोडाकरण नहीं करे। existing way के उपयोग
उपयोग पर कोई रोक नहीं होगी। प्राचीन
की extra land को खुर्द-बुर्द नहीं करे।
प्राचीन के सतत नुमा लेख नम्बर से कम लेख
भूमिवाड के साथ संलग्न है।



[Signature]
उपक्षेत्र अधिकारी